

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

समादेष्टा सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
एस0डी0आर0एफ0, आपदा प्रबंधन विभाग।

पटना-15, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020104, के अंतर्गत कुल ₹ 20,10,000 (बीस लाख दस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-28/आ0प्र0 दिनांक-13.04.2017 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि ₹ 24,99,00,000/- (चौबीस करोड़ नित्यानवे लाख) में से आवंटित की जा रही है।
- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020104, मांग संख्या-39 के अंतर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:-
उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य
लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध मांग संख्या-39
उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स,

(राशि रूपये में)

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	वर्ष 2017-18 में पूर्व का आवंटन	वर्ष 2017-18 में वर्तमान आवंटन	कुल योग	अभ्युक्ति
1.	13- कार्यालयी व्यय	06- वर्दी /पोशाक	9,90,000 (नौ लाख नब्बे हजार)	20,10,000 (बीस लाख दस हजार)	30,00,000 (तीस लाख)	

5. यह आवंटन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स के पत्रांक-1723 दिनांक-26.12.2017 द्वारा की गई अधियाचना, उपलब्ध बजट उपबंध तथा विभागीय पत्रांक 727/आ0प्र0 दिनांक 15.03.18 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्र भेज दिया जाय।

7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही

शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के झापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 25.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

10. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

11. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक-

झापांक-...../आ0प्र0,

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट)/ योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक-

झापांक/आ0प्र0

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ उप समादेष्टा एस0डी0आर0एफ0, बिहार, पटना/ भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0 / -

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक- 16.03.18

झापांक163...../आ0प्र0

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग/ विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव